

The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Amendment) Act, 2002

Act 16 of 2002

Keyword(s): Unlawful Import, Export, Transport, Manufacture, Possession, Sale

Amendment appended: 20 of 2003

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०एन०-30/02 (लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेभेन्ट)





उत्तराचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1. खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0 अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 459/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002 देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"मारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराचल विधान समा द्वारा पॉरित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21--12--2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरधनवें वर्ष में विधान समा द्वारा अधिनियमित)

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तरांचल राज्य के लिए अग्रेतर संशोधन करने के लिए-

	\sim	
_ 3H		
- 011	41.1	यम

 (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) संक्षिप्त नाम, विस्तार और अधिनियम, 2002 कहलायेगा। प्रारम्भ 2) यह सम्पूर्ण उत्तरांदल राष्ट्र में फानू लेका (3) यह 0; अक्टूबर, 2002 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। - }**** अधिनियम् संख्या 👾 2 ्र उत्तर प्रदेश आवकारी अधिनियम, 1910 (इ.सि.टि.ए.स. संख्या 4, सन् 1910) 4, सन् 1910 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा. की धारा 60, 63 व 68 के स्थान पर धारा 60, 63 व निम्नलिखित धारा 60, 63 व 68 को रख दिया जायेगा अर्थात् :--68 का संशोधन 60. अवैध आयात, निर्यात, परिषटन, निर्माण कृल्ला, तिकम धारा-60 का राशोधन 🚽 आदि के लिए शास्ति --- (1) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का, अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी लाईसेंस, परमिट या पास का उल्लंधन करके ----चरस से मिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात (क) या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या भांग (कैनेबिस सैटाइवा) की खेती करता है, या (ख) भाग (कैनेविस सैटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह (ग) या विक्रय करता है, जिससे कोई मादक भेषज निर्मित किया जा सकता है, या कोई आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी निर्मित (घ) करता है या चलाता है, या किसी प्रकार का कोई सामान, भभुका, वर्तन, औजार (ভ) या उपकरण ताडी से भिन्न किसी मादक वरतू के निर्माण के लिए प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है. या

- (च) इस अधिनियम के अधीन लाईसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या भाण्डागार स कोई मादक वस्तु हटाता है, या
- (छ) विक्रय के लिए किसी शराब को बोतल में बन्द करता है, या
- (ज) धारा--61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तू का विक्रय करता है, या
- (झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चूआता है या निकालता है,

तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो दो दर्भ तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायेगा जो खण्ड (झ) के जदीन अप्राय की स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाईसेंस, परमिट या पास के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाईसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती. के दस गुने से कम न होगा ओर किसा अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि के दस गुने या 5000 / – रूपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाईसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तू का निर्माण करता है, या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है, उसे कारावास का, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्ष तक हो सकता है, दण्ड दिया जायेगा और अर्थ दण्ड भी दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है। जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये (3) किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

63. अवैध रूप से आयात की गई मादक वस्तु आदि को कब्जे में रखने के लिए शास्ति – जो कोइ व्यक्ति तिना तैश प्राधिकार के कोई मादक वस्तु किसी परिमाण में अपने कब्जे में यह जानते हुए कि उसे अवैध रूप से आयात किया गया है, उसका परिवहन किया गया है या उसे निर्मित किया गया

धारा ६३ का संशोधन

है या यह जानते हुये कि उस पर विहित उत्पाद–शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, रखे तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है या दोनो दण्ड दिये जायेगें।

धारा ६८ का सशोधन 68. ऐसे अपराघों के लिए शास्ति जिनकी अन्यथा व्यवस्था न की गई हो — जो व्यक्ति इस अधिनियम के, अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य का या साभिप्राय कार्य लोप का जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो, दोषी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिए अर्थदण्ड दिया जाएगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

निरसन 3. अध्यादेश संख्या 08, वर्ष 2002 एतद्द्वारा निरसित समझा जाय।

आज्ञा से,

(यू० सी० ध्यानी) अपर सचिव।

No. 459/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002 Dated Dehradun, December 21, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 16 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legistaative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH EXCISE ACT, 1910) (AMENDMENT)

ACT, 2002

(UTTARANCHAL ACT No. 16 OF 2002)

(Enacted by the State Assembly in the Fifty-third Year of the Republic of India)

To further amend The Uttar Pradesh Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910) in its applicability to State of Uttaranchal--

An

Act

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910 (Amendment) Act, 2002.

Short title, extention and Commencement

(2) It extends to the whole of Uttaranchal State.

- (3) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 2002.
- 2. In Section 60, 63 and 68 of the Uttar Pradesh Excise Act, 1910 (Act No. 4 of 1910), hereinafter referred to as the Principal Act, shall be amended.

60. Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possesion, sale etc. – (1) Whoever, in contravention of this Act or of any rule or order made thereunder, or of any licence, permit or pass obtained thereunder –

- (a) Import, export, transport or possesses any intoxicant other than charas; or
- (b) cultivates any hemp plant (Cannabis sativa); or
- (c) collects or sells any portion of the hemp plant (Cannabis Sativa) from which any intoxicating drug can be manufactured; or
- (d) constructs or wortto any distillery, brewery or vintnery; or
- (e) uses, keeps or has in his possession any material, still, <u>utonsii</u> implement or apparatus, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant other that tari; or
- (f) removes any intoxicant from any distillery, brewery, vintnery or warehouse licensed, established or continued under this Act; or
- (g) bottles any liquor for the purposes of sale; or
- (h) sells any intoxicant, save in the case provided for by

Amendment of Section 60, 63 and 68 of Act

Amendment of Section 60

no. 4 of 1910

Section 61; or

(i) taps or draws tari from any tari producing tree in the areas notified under senction 42;

shall be punished with imprisonment which may extend to two years and with fine which shall, in the case of an offence under clause (i) not be less than ten times the amount of duty which would have been leviable if such intoxicant had been dealt with in accordance with this Act and the rules and orders made thereunder or in accordance with any licence, permit or pass obtained thereunder, and in any other case, not be less than ten times the amount of such duty, or five thousand rupees, whichever is greater.

(2) Whoever in contravention of this Act or any rule or order made thereunder or of any licence, permit or pass obtained under this Act, manufactures any intoxicant or imports, exports, transports or possesses any charas, shall be punished with imprisonment which shall not be less than six months and which may extend to three years and also with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees.

(3) Whoever in contravention of this Act or any rule or order made thereunder, consumes any intoxicant, shall be punished with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees.

63. Penalty for possession of intoxicant unlawfully imported, etc – Whoever, without lawful authority, has in his possession any quantity of any intoxicant knowing them same to have been unlawfully imported, transported or manufactured or knowing the prescribed duty not to have been paid thereon, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees or with both.

68. Penalty for offences not otherwise provided for – Whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provisions of this act, or of any rule or order made under this Act and not otherwise provided for in this Act, shall be punished for each such act or orderiging with fine which shall not be less than five thousand rupees and which may extend to ten thousand rupees.

Repeal

ζ.

Amendment of

Amendment of

Section 68

Section 63

3. Ordinance No. 08 of 2002 hereby is repeated.

By Order,

(U. C. DHYANI) Addl. Secy.

पी०एस०यू० (आर०ई०) ३१ विधायी / 564-- 2002-- 500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०एन०-30/03 (लाइज्ञेन्स दू पोस्ट विदाचट प्रीपेमेन्ट)

> आ को रहेने हैं। इसर्य कि फिल्हा न जन हरेन के (0 इस्टों की





उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

क्रम संख्या-02

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई0 पौष 11, 1925 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 479/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003 देहरादून, 01 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध,

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान समा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनाक 28-12-2003 को अनुमृति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन)

अधिनियम् 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20, सन् 2003)

[भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित]

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002 का उत्तरांचल में प्रवर्तन हेतु अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

1. (1) यह अधिनियमं उत्तरचिल (उत्तरं प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ उत्तरांचल असाधारण गजट, 01 जनवरी, 2004 ई0 (पौष 11, 1925 शक सम्वत्)

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 24 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संo 16, सन् 2002 की घारा 60(2) के अंश का विलोपन

2

2. मूल अधिनियम की घारा 60 की उपधारा (2) के निम्न अंशों का विलोपन:-"या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है"

आज्ञा से,

बी0 लाल, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhimyam Sankhya 20 of 2003 for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28-12-2003

No. 479/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003 Dated Dehradun, January 01, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH EXCISE ACT, 1910) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT No. 20 OF 2003)

Enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India.

And to further amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Amendment) Act, 2002 in its applicability to State of Uttaranchal

AN ACT

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Excise Act, 1910) (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal State.

(3) It shall be deemed to have come into force on the June 24, 2003.

2. Deletion of following part of sub-section(2) of Section 60 of the Principal

Deletion of Certain part of sub-section(2) of section 60 of the Act No. 16 of 2002

Act :--

"or imports, exports, transports or possesses any charas"

By Order, BHAROSI LAL, Secretary.

पी०एस0यू० (आर०ई०) 02 विधायी / 05-2004-500 (कम्प्यूटर / रीजियों)।